चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 04.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता

कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा चुनकानी पुत्र भगता निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

15 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा
2.आरक्षी अतुल मिश्रा
3.आरक्षी नरेन्द्र कुमार
4.आरक्षी दिनेश यादव

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, पैरोकार आरक्षी रामकिशोर तथा मोनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 609/2016 धारा 452,354,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त चांदूबाबू पुत्र नन्हे अली निवासी बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का साधारण कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 05.07.2016 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि अभियुक्त चांदबाबू उपरोक्त द्वारा घर में घुसकर उनके साथ छेड़छाड़,मारपीट,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 609/2016 धारा 452,354,323,504,506 भादवि0 बनाम चांदबाबू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शरदचन्द्र पटेल द्वारा की गयी थी, विवेचक द्वारा दिनाँक 04.09.2016 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सूर्यकान्तधर दुबे द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1205/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम की आरोपी अभियुक्ता बुधुलिया पत्नी संतोष निवासी टिकुरा मजरा कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनांक 04.07.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की उपस्थिति में आषाढ़ अमावस्या मेला को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु डियूटी में आए बाह्य जनपद एवं जनपद चित्रकूट के अधि0/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान बाह्य जनपदों से आये पुलिस बल तथा जनपद चित्रकूट के पुलिस बल को अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अपने-अपने डियूटी पॉइन्ट पर समय से पहुंचेगें तथा सतर्क रहकर ड्यूटी चार्ट के मुताबिक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। डियूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा डियूटी के दौरान कोई भी समस्या होती है तो अपने लाइजनिंग अफसर को अवगत कराते हुये उच्चाधिकारियों को सूचना दें।

मेला डियूटी में जनपद चित्रकूट से 03 क्षेत्राधिकारी, 14 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी , 10 निरीक्षक, 65-उपनिरीक्षक, 176-आरक्षी/मुख्य आरक्षी, 45 महिला आऱक्षी, 02 उपनिरीक्षण यातायात, 24 आरक्षी/मुख्य आरक्षी यातायात, 02 उपनिरीक्षक एलआईयू, 06-आरक्षी/मुख्य आरक्षी एलआईयू, 02-फायर टेण्डर, 01 डॉग स्क्वायड, तथा बाह्य जनपदों ने 20-उपनिरीक्षक, 100- आरक्षी/मुख्य आरक्षी, 01 कम्पनी पीएसी, 01 प्लाटून बाढ़ राहत, एसचेक टीम-01 को लगाया गया है।

ब्रीफिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 04.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आए हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।